बनाम

मुकदमा T.I. नं. 9 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्याय आपके द्वार 2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-5-19	पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखी हुई मांग में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। पैरोकार राजकुमार तथा वहीमदार दौसा ने अपने बयान T.I. में कहा कि वादग्रस्त विवाद मामला गंगाराम दौसा के द्वारा उक्त ब.न. 1262 में से खरीदी भूमि आवंटी के हित आवंटी को मंजूरी, जो बाद में विवाद मामला गंगाराम दौसा के द्वारा दिनांक 9.7.2004 के द्वारा आवंटित भूमि को निरस्त कर चारागाह दर्ज किये जाने के फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी दौसा की अपील R.A.A. में होने पर उपखण्ड अधिकारी दौसा का निर्णय दिनांक 6.2.15 के द्वारा जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 9.7.2004 को निरस्त किया गया। R.A.A. के निर्णय में आवेदक गंगाराम का भूमि आवंटन प्रकरण अन्यत्र होने से वादग्रस्त भूमि T.I. पर्ची का पर्चा नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि खुरी कलां का पर्चा T.I. निरस्त किया जाने योग्य नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि खुरी कलां का पर्चा T.I. निरस्त किया जाता है। प्रकरण फैसल हुआ होने से नियमानुसार बाद में मिसल फाईल लाकर रखें। निर्णय राजस्व लोक अदालत में खुरी कलां के मामले आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	

सहायक कलेक्टर
दौसा